

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN No. L40101DL1989GOI038121



Northern Region-1 Headquarters, SCO 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002

संदर्भ: पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./2174/ 1717

दिनांक: 09.11.2022

सेवा में,

श्री वी. के. गौड,
मकान न. सी-115, गली न. 8, कान्ती नगर एक्सटेंशन,
दिल्ली - 110051

विषय: आपके ऑनलाइन आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

आपका ऑनलाइन आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र पंजीकरण संख्या PGCIL/R/E/22/00347 दिनांक 14.10.2022 के संदर्भ में आपने आर. टी. आई पत्र दिनांक 13.10.2022 के अनुसार बिंदु न.1 से 4 तक की जानकारी चाही है, इस अनुसार आपको निम्न जानकारी दी जाती है:

| बिंदु न. | मांगी गई जानकारी | पावरग्रिड द्वारा जानकारी |
|----------|---|---|
| 1 | पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम में स्थित उपकेंद्रों में निर्मित आवासीय परिसर की श्रेणी क्रमशः (A, B, C, D & B1, B2, B3) आवासीय परिसरों की कुल संख्या का विवरण प्रमाणित दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें। | बिंदु न. 1 से 4 तक मांगी गई जानकारी पावरग्रिड उ. क्षे.1 के आवासीय परिसरों एवं परिसरों के आबंटन से सम्बंधित है। आर. टी. आई. अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार सम्बंधित प्राधिकारी को संतुष्टि होनी चाहिए कि जानकारी सार्वजनिक हित से सम्बंधित है। |
| 2 | पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम में ऐसे उपकेंद्रों का प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें कि जहाँ वर्तमान में विभाग द्वारा आवासीय परिसर निर्मित नहीं करवाए गए हैं। | आपके द्वारा बिंदु 1 से 4 के द्वारा मांगी गई जानकारी कोई सार्वजनिक हित से सम्बंधित नहीं है बल्कि उ. क्षे.1 के कर्मचारियों से सम्बंधित है जो उन कि निजी जानकारी के दायरे में भी आता है। |
| 3. | पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम के उपकेंद्रों में कार्यरत कार्यपालक/अकार्यपालकों की संख्या एवं उनको श्रेणी सहित आवंटित विभागीय आवास का पूर्ण विवरण प्रमाणित दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें। | इसलिए उपरोक्तानुसार मांगी गई जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम 2005 के नियम 8(1) (e) के तहत छुट प्राप्ति के दायरे में है इसलिए जानकारी नहीं दे सकते। |

| | | |
|----|--|--|
| 4. | पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम के उपकेंद्रों में कार्यरत कार्यपालक/अकार्यपालकों की संख्या जिन्हे श्रेणी सहित विभागीय आवास आवंटित अभी तक नहीं करवाया गया है तथा उन्हें एच.आर.ए./कम्पनी लीज के भुगतान का पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें। | |
|----|--|--|

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण
श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्ष.1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्ष.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय



[राजेश वी.]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्ष. -1
फोन न.0129-2666305